

शिक्षा विभाग

पत्रांक— ब0आ0-114/17/2026-SEC_5-EDU DEPT (C.No- 573056)....89

सेवा में,

महालेखाकर, (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल, पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

द्वारा — आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक— 21/08/2026

विषय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या-08 दिनांक 22.04.2026 द्वारा स्वीकृत राशि 10,00,00,000/- (दस करोड़) रुपये मात्र के विरुद्ध अवशेष राशि 6,70,00,000/- (छः करोड़ सत्तर लाख) रुपये मात्र में से द्वितीय चौमाही बंधेज (32%) के अधीन 3,20,00,000/- (तीन करोड़ बीस लाख) रुपये मात्र की विमुक्ति तथा डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों एवं सहायक भू-सम्पदा पदाधिकारियों के मानदेय भुगतान हेतु प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त 2,00,00,000/- (दो करोड़) रुपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालयों के कार्यों के सम्यक निष्पादन हेतु जिलों में डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की व्यवस्था की गई है। इन कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को निर्धारित दर से पारिश्रमिक मानदेय भुगतान हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या-08 दिनांक 22.04.2026 द्वारा स्वीकृत राशि 10,00,00,000/- (दस करोड़) रुपये मात्र के विरुद्ध अवशेष राशि 6,70,00,000/- (छः करोड़ सत्तर लाख) रुपये मात्र में से द्वितीय चौमाही बंधेज (32%) के अधीन 3,20,00,000/- (तीन करोड़ बीस लाख) रुपये मात्र की विमुक्ति तथा डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों एवं सहायक भू-सम्पदा पदाधिकारियों के मानदेय भुगतान हेतु प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त 2,00,00,000/- (दो करोड़) रुपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय ज्ञापांक 1100 दिनांक 02.07.2025 द्वारा शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित सरकारी विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों एवं कार्यालयों की भूमि का सत्यापन, भूमि के विवरण का संकलन एवं संरक्षण तथा विभाग के अन्य विकासात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए ससमय भूमि की उपलब्धता हेतु संविदा के आधार पर 3(तीन) वर्षों के लिए भू-सम्पदा पदाधिकारी के 02 एवं सहायक भू-सम्पदा पदाधिकारी के 38 पदों के सृजन की स्वीकृति है।

3. स्वीकृत्यादेश संख्या-08 दिनांक 22.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालयों में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को निर्धारित दर से पारिश्रमिक मानदेय भुगतान हेतु कुल 10,00,00,000/- (दस करोड़) रुपये मात्र की स्वीकृति तथा 3,30,00,000/- (तीन करोड़ तीस लाख) रुपये मात्र की विमुक्ति प्रदान की गयी है।

4. राशि का विकलन माँग संख्या 21, मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 02- माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष 001- निदेशन एवं प्रशासन, उप शीर्ष 0002- जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, विपत्र कोड 21-2202-02-001-0002 के विषय शीर्ष 0002.28.02- संविदा सेवायें मद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से होगा।

5. वित्तीय वर्ष 2026-27 में विपत्र कोड 21-2202-02-001-0002 के विषय शीर्ष 0002.28.02- संविदा सेवायें मद में मूल उपबंध 10,00,00,000/- (दस करोड़) रुपये मात्र है तथा प्रथम अनुपूरक आगणन से 2,00,00,000/- (दो करोड़) रुपये मात्र राशि का अतिरिक्त उपबंध हुआ है।

6. सम्पूर्ण राशि राज्य के विभिन्न जिला अंतर्गत जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से निस्ताराधीन होगी। आवंटित राशि की निकासी आवंटन के आधार पर संबंधित जिला के कोषागार से की जायेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

7. राशि का आवंटन जिलों से प्राप्त मांग पत्र/निदेशालयों द्वारा समर्पित पीत पत्रों/उच्चस्तरीय निदेश के आधार पर संबंधित जिलों को दिया जायेगा। आवंटित राशि जिलों में कार्यरत डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों एवं सहायक भू-सम्पदा पदाधिकारियों के मानदेय भुगतान हेतु ही व्यय की जायेगी। आवंटित राशि ससमय जिलों द्वारा खर्च नहीं किये जाने की स्थिति में सामंजस के तहत अन्य जिलों को मांग के आधार पर आवंटित कर दी जायेगी।

8. राशि को नियमानुसार व्यय करने के उपरान्त संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को विभाग के माध्यम से ससमय उपलब्ध कराया जाएगा।

9. भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक एवं राज्य के वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) को यह अधिकार होगा कि स्वीकृत राशि का लेखा-जोखा का अंकेक्षण कर सकेंगे।

10. राशि का व्यय वित्त विभागीय स्थायी आदेश सं0-2561, दिनांक-17.04.1998, वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888, दिनांक-03.12.2024 वित्त विभाग राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों अन्य पत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जाएगी।

11. राशि का विचलन अन्य मदों में किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- ब0आ0-114/17/2026-SEC_5-EDU DEPT (C.No- 573056) के नोट-57/टि० पर प्राप्त है।

13. प्रस्ताव पर सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या ब0आ0-114/17/2026-SEC_5-EDU DEPT (C.No- 573056) के नोट-66/टि० पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक- ब0आ0-114/17/2026-SEC_5-EDU DEPT (C.No- 573056).....89..... दिनांक-21/08/2026

प्रतिलिपि :- सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना)/वित्त विभाग (योजना एवं बजट)/संबंधित प्रभारी पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

वित्तीय वर्ष 2026-27

डाटा इंट्री ऑपरेटरों एवं सहायक भू-संपदा पदाधिकारियों के मानदेय भुगतान हेतु जिलावार आवंटित राशि की विवरणी
(21-2202-02-001-0002) 28.02

क्र०सं०	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	सुपौल	₹ 9,00,000
2	मधुबनी	₹ 0
3	सहरसा	₹ 2,72,000
4	रोहतास	₹ 7,62,724
5	औरंगाबाद	₹ 3,58,080
6	नालन्दा	₹ 10,55,622
7	प० चम्पारण (बेतिया)	₹ 8,20,640
8	जहानाबाद	₹ 3,27,580
9	सीतामढ़ी	₹ 0
10	मुजफ्फरपुर	₹ 9,93,544
11	गोपालगंज	₹ 9,40,800
12	सीवान	₹ 6,50,650
13	गया	₹ 9,98,080
14	नवादा	₹ 6,38,308
15	सारण	₹ 25,50,992
16	अरवल	₹ 4,84,870
17	कटिहार	₹ 1,79,178
18	पूर्णिया	₹ 7,66,832
19	किशनगंज	₹ 1,16,128
20	खगड़िया	₹ 3,20,000
21	कैमूर	₹ 0
22	भोजपुर	₹ 0
23	पूर्वी चम्पारण (मातिहारी)	₹ 7,72,000
24	पटना	₹ 17,51,084
25	वैशाली	₹ 7,37,420
26	बांका	₹ 2,88,000
27	भागलपुर	₹ 12,13,620
28	अररिया	₹ 9,42,978
29	बेगुसराय	₹ 7,00,000
30	लखीसराय	₹ 6,26,072
31	शेखपुरा	₹ 8,58,072
32	जमुई	₹ 1,57,194
33	बक्सर	₹ 10,67,920
34	शिवहर	₹ 2,60,380
35	समस्तीपुर	₹ 2,62,626
36	दरभंगा	₹ 18,42,760
37	मुंगेर	₹ 16,06,164
38	मधेपुरा	₹ 5,18,862
कुल योग:-		₹ 2,67,41,180

21.8.26
सरकार के उप सचिव

Bb